# संविधानमा हाम्रो सरोकार

**२** नेपालमा निर्वाचन प्रणाली

संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था किन ? **१३**

**१६** संघीय नेपालको प्रस्तावना: आरोह अवरोह

## हाम्रो भन्नु

संविधानसभामा विवादित विषयको चाङ छ। त्यहीँ विवादित विषयमध्ये एउटा हो- निर्वाचत प्रणाली। राज्यको उच्चतम निकाय र विभिन्न अंगहरूमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरुप भाग लिएर सो स्थानमा पुग्ने खुड्किलो भएको हुनाले यो विषयले उच्चतम प्राथमिकता पाएको हो । संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने नेपालको नयाँ संविधानले नेपालमा अब बन्ने संघीय नेपालका विभिन्न संरचनाहरूमा निर्वाधरूपमा भाग लिन पाउने राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने यो विषयमा विभिन्न देशमा भएको अभ्यासलाई केलाएर हेर्न र गहन रूपले छलफल गर्नु जरुरी छ । नेपालका अदिवासी जनजातिको वर्षौंदेखिको आन्दोलनले माग गर्दै आएको सवाल हो- राज्यको विभिन्न निकायहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व । यहीँ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्ने कडी पनि हो-निर्वाचत प्रणाली । यसैकारण नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले देशलाई सुहाउँदो नवीनतम उपाय खोज्न र सहमतिमा पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने अपेक्षासहित आफ्नो प्रकाशन 'संविधानमा हाम्रो सरोकार' प्रकाशन गरेको हो । यस भागमा डा. श्री कृष्णबहादुर भट्टचनद्वारा तयार पारिएको 'नेपालमा निर्वाचन प्रणाली' विषयक अवधारणपत्रको साथै लाहुर्निपद्वारा काठमाडौमा आयोजीत सभासद् तथा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूबीच सम्वाद कार्यक्रममा डा. कृष्ण हाछेथुद्वारा प्रस्तुत, संघीय नेपालको प्रस्तावना: आरोह अवरोह र डा. मुक्तसिंह तामाङद्वारा प्रस्तुत संविधानमा मौलिक अधिकार को व्यवस्था किन ? विषयक Powerpoint समाविष्ट गरिएको छ। उहाँले लाहुर्निपको आग्रहलाई स्वीकार गरी आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजूद यो अवधारण लेखिदिनु भएकोमा संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई धन्यबाद ज्ञापन गर्दै 'संविधानमा हाम्रो सरोकार' आवश्यकता अनुसार क्रमश: प्रकाशन गरिनेछ।

# नेपालमा निर्वाचन प्रणाली

## निर्वाचन प्रणाली र आदिवासी जनजाति

संविधानसभाको 'संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समिति'ले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामहरूमा सहमति र असहमतिका बुंदाहरू निर्क्योल गरी असहमतिका बुंदाहरूमा सहमति खोज्नका लागि 'संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति'मा पठाएर छलफल गरेको अवस्था छ। विवादित विषयहरूमध्ये राज्यको पुनर्संरचना, शक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली रहेको छ। यो अवधारणापत्र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिले के अडान राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो बनाउनका लागि विभिन्न विकल्पसहित चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा आदिवासी जनजातिका लागि मात्र होइन, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला आदिका लागि समेत पहिलो हुने निर्वाचित हुने वा दुईचरण प्रणाली, वैकल्पिक मत र एकमुष्ट मत लगायतका बढी मत/बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली वा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले विद्यमान एकात्मक र भावी संघीय संरचनासमेतमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले यो पद्धतिलाई आदिवासी जनजातिले नकार्नु पर्दछ। कुनै दल वा राजनीतिक शक्तिले यसको वकालत गर्छ भने त्यसको सशक्त विरोध गर्नु पर्दछ।

आन्दोलन शक्तिशाली भएको अवस्थामा सूचीमा आधारित समानुपातिक वा एकल संक्रमणीय मतको माग र यसको सुनिश्चितता आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत, बहिष्करण, बञ्चितीकरणमा पारिएकालाई उपयुक्त हुन्छ। तर यसलाई विश्वव्यापी प्रचलनलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्टीकरण नगरेको खण्डमा यसले पनि खोजे जस्तो वा हुनुपर्ने जति समानुपातिक नहुन सक्छ। समानुपातिकभित्र ध्यान नदिइएको खण्डमा समानुपातिक आफैंमा खासै समानुपातिक नहुन सक्छ। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको समानुपातिक आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिका लागि पूर्ण समानुपातिक हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था खोजे जस्तै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिका लागि छुट्टा-छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर शक्ति वा वार्गेनिंगको क्षमता कम हुँदाको बखत समानान्तर वा मिश्रित सदस्य अनुपात जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बाध्यात्मक स्थितिमा सम्झौताको बिन्दू हुन सक्छ। तर त्यस्तो बाध्यकारी अवस्थामा यसलाई पनि समावेशी समानुपातिक बनाउनका लागि विश्वव्यापी प्रचलनलाई नेपालको सन्दर्भमा विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचन प्रणाली र यसको अभ्यासका माध्यम पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नदिने झेली खेलको शृङ्खला

(क) पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको २० बूंदे सहमतिमध्ये निर्वाचनसंग सम्बन्धित पहिलो निम्न ३ बूंदा विपरीत निर्वाचन गरेको थियो।

१. संविधानसभाको निर्वाचनका लागि वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने' प्रणालीमा दलहरूले उम्मेदवारी दिंदा सबै जाति-जनजातिको समानुपातिक समावेशी हुने कुरालाई ध्यानमा राखी उम्मेदवारी तय गरिनेछ।

२. राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूची तयार गर्दा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलहरू मिलेर सूचीकृत आदिवासी/जनजातिका प्रत्येक समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

३. दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका सूचीकृत आदिवासी जनजातिको न्यूनतम एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सम्बन्धमा संवैधानिक वा कानूनी सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले राजनीतिक दलमा सहमति गरी निष्कर्ष निकालिने छ।

(ख) विशेषगरी संविधानसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७० साल, बैशाख ८ मा निम्न बमोजिमको निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ, जुन आदेश तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा, कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ।

"... तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिलगायत सामाजिक रूपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरूले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परासमेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत तथा पीछडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था

उपयुक्त हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि संविधानसभाका सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली, २०६५ लगायतका कानूनहरूमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निमित्त आवश्यक पहल गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एकप्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझाई दिनू ।"

(ग) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को निम्न धारा तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरकारले गर्न नचाहेको देखिन्छ ।

धारा १३८. राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाः
(१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने छ ।

(घ) पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछिका सम्बन्धमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनीपत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको अर्को चेतावनी तथा आदिवासीको मानवअधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधिक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिश अनुरूप आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र आदिवासी/जनजातिको प्रथा र परम्परा अनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी लिनका लागि सयन्त्र र प्रकिया तत्काल निर्माण गरी सुनिश्चित गर्नपर्ने भनी अग्रिम चेतावनी दिएकोमा नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

(ङ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा (६३) उपधारा (३) (ग) मा व्यवस्था भएको 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य' को प्रावधानलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जस्तै २६ जनाको मनोनयन गर्दा पनि सबैभन्दा बढी दुरूपयोग गरेको देखिन्छ ।

प्रायजसो उम्मेदवारी र मनोनयन आदिवासी जनजातिको अधिकार विपरीत बोल्ने, काम गर्ने र दलले भनेको मान्ने हनुमान, भेंडा, लाश परेको आदिवासी जनजाति, प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न डराएका वा लडेर हारेकाका लागि समानुपातिकको भऱ्याङ चढाएको, २६ मनोनयनमा आफ्नै श्रीमती, भाइभतिजा, नातागोता, पैसावाल आदिलाई पारी आफैंले गरेको चरम दुरूपयोगको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालका लागि अनुपयुक्त रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताउने गर्दछन् । यो भनेको बच्चालाई नुहाउंदा बाटामा राखेको बच्चा र पानी दुवै फोहोर हुन्छ । तर फोहोर पानी मात्र फाल्नु पर्ने ठाउँमा बच्चा र फोहोर पानी दुवैलाई फाल्ने भने जस्तै भएको छ ।

तैपनि समानुपातिक निर्वाचनका माध्यम धेरै संख्यामा धेरै आदिवासी जनजाति लगायत जातजातिका दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सभासद् भए । तर सबैलाई दलले नियन्त्रणमा राखेको र सबै छलफल र निर्णयहरू तिनै दलका तिनै शीर्षस्थ नेताहरूले गर्ने गरेकोले भौतिक सहभागिता बाहेक संविधानका अन्तरवस्तुमा आदिवासी जनजाति सभासद्हरूले खासै योगदान गर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट छ । तर पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस) बनाएर आदिवासी जनजातिको मुद्दामा जुझारु भए पनि दलको कार्यकर्ताको नाताले निर्णायक बन्ने अवस्था नरहेको पनि प्रष्टै छ ।

दोस्रो संविधानसभामा भने आदिवासी जनजाति आन्दोलबाट निर्माण भएका आदिवासी जनजातिकै मुद्दा बोकेका दलहरूको उपस्थित भई ककस बनाएकोले संविधानसभाभित्र हुने छलफलमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउन, विपरित निर्णयलाई रोक्न र आवश्यक परे आदिवासीको अधिकार खोस्ने संविधान आएको खण्डमा (जुन निश्चित जस्तो देखिन्छ), संविधानसभाभित्रैबाट संविधान जलाउने हैसियत तथा अवस्था पनि देखिन्छ ।

## समानुपातिक प्रतिनिधित्व[1]

### समानुपातिक प्रतिनिधित्वको शुरुवातः

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बहुल–बहुमत मतदानको ठीक उल्टो कुरा हो । जातीय र धार्मिक कारणले गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग सबैभन्दा पहिले स्वीट्जरल्याण्डमा भयो । बेल्जीयममा सन् १८९९ मा, फिनल्याण्डमा सन् १९०६ मा र स्वीडेनमा सन् १९०७ मा यो प्रणाली लागू भयो । त्यपछि सन् १९२० सम्ममा प्रायःसबै युरोपेली मुलुकहरूमा लागू भयो । हालै आएर न्यूजील्याण्ड र स्कटल्याण्ड, वेल्सले पनि मिश्रित–सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अपनाएका छन् ।

### समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विशेषताहरू

डगलस जे. एमीका अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विशेषताहरू हुन्- बहुलसदस्य जिल्लाहरू, जित्नेले–सबै–लिने हैन, सीटको समानुपातिक व्यवस्था, राजनैतिक पहिचानमा जोड, बञ्चितीकरणमा पर्ने कम सम्भावना ।

**समानुपातिक प्रतिनिधित्वका फायदाहरूः**डगलस जे. एमी र आईडियाको पुस्तक निर्वाचन प्रणालीको प्रारूपमा उल्लेख भए

1 समानुपातिक प्रतिनिधित्वका वारेमा यसमा लेखिएका बुंदाहरू डगलस् जे. एमीको पुस्तक **बीहाईण्ड द ब्यालट बक्स. अ सिटीजन्स् गाइड टु भोटीङ सिष्टम्स्**को चौथो परिच्छेदमा आधारित छ । डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले लेख्नु भएको आदिवासी जनजातिका सवालमा कानूनी सचेतना, नेतृत्व विकास, जनवकालत विषयक प्रशिक्षक प्रशिक्षण निर्देशिका पुस्तकलाई नेपाल आदिवासी जनाजति महासंघले सन् २००५ मा प्रकाशित पुस्तकमा एमीको पुस्तकको आधारमा लेखिएको समानुपातिक निर्वाचनबाट लिइएको छ । केही जानकारीहरू सन् २००६ मा प्रकाशित निर्वाचन प्रणालीको प्रारूप अन्तर्राष्ट्रिय आइडीईएको नयाँ हाते पुस्तकमा पनि आधारित छ ।

अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वका फायदाहरू हुन्- साना राजनैतिक दलहरूको समेत उचित प्रतिनिधित्व, विभाजित अवस्थामा सबैको प्रतिनिधित्व भएर शान्ति र स्थायित्वमा मदत पुग्ने, मतहरू कमै मात्रामा खेरजाने भएकोले मतहरू बढी प्रभावकारी, इमान्दार मतदानलाई प्रोत्साहन, मत बिगार्ने उम्मेदवारहरू नहुने, बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकृति जातीय र अल्पसंख्यकहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने, महिलाहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने, मतदातहरूलाई धेरै छनौट गर्न पाइन, जिल्लाहरूबीच बढी प्रतिस्पर्धा, संसद बढी प्रतिनिधिमूलक हुन, प्रतिनिधित्वमा नागरिकहरूको पहुँच बढ्ने, धेरै मत पाएर पनि हार्ने स्थिति नहुन, चुनावी अभियान धेरै राम्रो हुने, बहुदलीय चुनावी अभियानमा नीतिगत प्रष्टत हुने, नकारात्मक अभियान कम हुने, वास्तविक अर्थमा बहुमतले शासन गर्ने, राजनैतिक सन्तोष बढी हुन, बढी मतदाताले मत खसाल्ने, राजनैतिक मध्यमार्ग, निर्वाचन क्षेत्र बाहरी पनि जान प्रेरणा दिने ।

**समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बेफाइदाहरू**

डगलस जे. एमीका अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बेफायदाहरू हुन्- अनिश्चित वा अति स्थायी गठबन्धन, साना राजनैतिक दलहरूलाई अति धेरै शक्ति, साना राजनैतिक दलहरूलाई अति धेरै छुटहरू, खर्चिलो चुनावी अभियान, भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नराम्रो हुने, निर्वाचन क्षेत्र र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध कमजोर रहने, उग्रतामाथि कम प्रतिरोध, प्रशासनिक खर्च बढी र जटील, अतिवादीलाई पनि स्थान दिने, दलगत प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने ।

न्यूनतम सीमा बिन्दु (थ्रेसहोल्ड) निर्धारण गर्ने तरिका:

समानुपातिक वा मिश्रितमा समानुपातिक बनाउन खोज्दा न्यूनतम सीमा बिन्दू (थ्रेसहोल्ड) निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ र यसो गर्ने तरिकामा कुन दललाई बढी फाइदा दिने, कुन दललाई कम फाइदा दिने भन्ने राजनीतिक अन्तरनिहित हुन्छ । यसो हेर्दा थ्रेसहोल्ड भनेकको हिसावको जटिलताले नबुझिने कम चासोको कुरा जस्तो लाग्छ । तर नुबुझिकन निर्णय गरेको खण्डमा निर्वाचन परिणामा घाटैघटा लाग्न सक्छ, खोजे जस्तो समानुपातिक नहुन सक्छ ।

आदिवासी जनजातिले प्रचलित अधिक शेषसूत्रमध्ये हेयर कोटा, ड्रुप वा हेगेनबाश-बिसफ कोटा, दे'ओन्ट सूत्र, परिमार्जन गरिएको इम्पेरीयाली सूत्र, इम्पेरीयाली सूत्र सबैलाई नकार्न पर्दछ । किनभने यी सबै सूत्रहरूले ठूला दललाई बढी सीट ल्याउन मत गर्दछ ।

आदिवासी जनजातिका लागि सबैभन्दा बढी उपयुक्त सां-लाग सूत्र हुने भएकोले यसैलाई स्वीकार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

**अधिक शेषसूत्र(Largest Remainder Formula):**

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मत परिणामलाई समानुपातिक बनाउनका लागि अधिक शेषसूत्र प्रयोग गरिन्छ । यस्तो सूत्र विभिन्न प्रकारको हुन्छ र ती यस प्रकारका छन्-

**हेयर कोटा (Hare Quota):**

कूल सदर मतलाई कूल सीट संख्याले भाग गरेपछि आउने संख्या न्यूनतम सीमा बिन्दू हुन्छ र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतलाई उक्त न्यूनतम सीमा बिन्दूले भाग गर्ने । दलले पूर्णसंख्या प्राप्त गरे जति सीट पाउँछ । बाँकी रहेको मतको हकमा अन्तमा कुनै सीट बाँकी रहेको खण्डमा सबैभन्दा अधिक शेष भएको दलले पाउँछ ।

**ड्रुप कोटा (Droop Quota) हेगेन-बिसफ कोटा (Hegen-Bishoff Quota):**

सबै हेयरकोटा अनुसार हुन्छ । तर यसमा एउटा फरक कूल मत संख्यालाई कूल सीट संख्यामा १ जोडेर भाग गरिन्छ । यसले समानुपातिकको परिणामलाई घटाउँछ ।

तालिका १. अधिक शेषसूत्रका आधारमा सीटको बाँडफाँड

| दल | मत | सिटको पहिलो बाँडफाँड | बाँकी मत | सीटको दोश्रो बाँडफाँड | अन्तिम सीट जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|
| क | ३६ | ३ | ३ | ० | ३ |
| ख | २४ | २ | २ | ० | २ |
| ग | २२ | २ | ० | ० | २ |
| घ | १७ | १ | ६ | १ | २ |

नोटः ९९ जना मतदाता । ९ वटा सीट । ११ मतको कोटा ।

स्रोतः डगलस जे. एमी (२०००:१७४)

**दे'ओन्ट सूत्र (D'Hondt Formula) अर्थात् उच्च औसत विधिः**

बेल्जीयमका वकिल भीक्टर दे'ओन्टले पत्ता लगाएको सूत्रले ठूलो दललाई फाईदा दिन्छ । दलले प्राप्त गरेको कूल मतलाई शृंखलाबद्ध रूपमा १, २, ३, ४, आदि परिणाम विभाजक सूत्रले भाग गरेर औसत निकालिन्छ । पहिलो पटक सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको दलको संख्यालाई उच्च औसत मानिन्छ र त्यसै अनुसार सीट बांडीन्छ । त्यसपछि उक्त पहिलो उच्च औसतलाई २ परिणाम विभाजक सूत्रले भाग गरी दोस्रो पटकको उच्च औसत निकालिन्छ र यस अनुसार सीट बाँडिन्छ । यो प्रकृया सीट बाँड्ने काम नसकेसम्म चलिरहन्छ ।

तालिका २. दे'ओन्ट सूत्रका आधारमा सीटको बाँडफाँड

| दल | मत/१ | मत/२ | मत/३ | मत/४ | अन्तिम सीट जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|
| क | ३६(१) | १८(४) | १२(६) | ९(९) | ४ |
| ख | २४(२) | १२(७) | ८ | | २ |
| ग | २२(३) | ११(८) | ७.३३ | | २ |
| घ | १७(५) | ८.५ | | | १ |

नोटः ९९ जना मतदाता । ९ वटा सीट । कोष्ठकभित्रको संख्याले सीट बाँडफाँडको कम जनाउँछ ।

स्रोतः डगलश जे. एमी (२०००:१७४)

**सां-लाग सूत्र(Sainte-Lague Formula):**

दे'ओन्ट सूत्रको ठूलो दलको पृष्ठपोषणलाई न्यून गर्न दे'ओन्ट सूत्रमा केही परिवर्तन गरी तयार गरिएको सूत्रलाई सां-लाग सूत्र भनिन्छ । यो सूत्र अनुसार दे'ओन्ट सूत्रमा प्रयोग गरिएको १, २, ३ आदि परिणाम विभाजक सूत्रको सट्टा बिजोड अंक, १, ३, ५ आदि परिणाम विभाजक सूत्रले भाग गरिन्छ । यो सूत्रले बढी समानुपातिक बनाउन मदत गर्दछ ।

तालिका ३. सां-लाग सूत्रका आधारमा सीटको बाँडफाँड

| दल | मत/१ | मत/३ | मत/५ | मत/७ | अन्तिम सीट जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|
| क | ३६(१) | १२(५) | ७.२(८) | ५.१४ | ३ |
| ख | २४(२) | ८(६) | ४.८ | | २ |
| ग | २२(३) | ७.३३(७) | ४.४ | | २ |
| घ | १७(४) | ५.६७(९) | | | २ |

नोटः ९९ जना मतदाता । ९ वटा सीट । कोष्ठकभित्रको संख्याले सीट बाँडफाँडको कम जनाउंछ । क

स्रोतः डगलस जे. एमी (२०००:१७५)

**अन्य पद्दति**

सां-लाग सूत्रलाई परिमार्जित गरेर पहिलोलाई १.४ ले भाग गरेपछि ३, ५, ७ आदि परिणाम विभाजक सूत्रले गर्दै जाँदा साना दललाई सीट जित्न गाह्रो हुन्छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को अनुसूचीमा मत परिणाम विभाजक सूचीका रूपमा यसैलाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । इम्पेरीयाली सूत्र (Imperiali Formula) अनुसार २, ३, ४ आदि परिणाम विभाजक सूत्रले भाग गर्दा ठूलो दललाई पृष्ठपोषण गर्दछ ।

## दलको सूची अनुसार मतदान

समानुपातिक निर्वाचनमा मुख्यतः दलको सूची अनुसार मतदानपत्र बनाएर मत खसाल्ने काम हुन्छ । दलको सूची अनुसार हुने मतदान दुई प्रकारको हुन्छ-

### (क) दलको बन्दसूची अनुसार मतदानः

निर्वाचन क्षेत्रमा भएका जनप्रतिनिधिको सीट जति छ, त्यति नै उम्मेदवारी दिइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि दलसरह छुट्टै स्थान दिइन्छ । मतदाताले आफूले चाहेका दल वा दलहरूलाई मतदान गर्छ । दलले प्राथमिकता क्रममा राखेको उम्मेदवारको क्रम अनुसार मात्र चुनिने गर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार चुन्ने ठाउँ दिइदैन । विजयी उम्मेदवार क्रम अनुसार नै हुन्छ ।

**मतपत्र १. बन्द दलको सूची मतदानपत्र**

मतपत्र

.... का लागि चुनाव

मतदान लागि निर्देशनः

१. तपाईले एउटा मात्र मत दिन सक्नुहुन्छ ।

२. तपाईले मतदिन चाहेको दलको मुनि रहेको खाली कोठामा रेजा ( (✓) चिन्ह लगाउनुहोस् ।

| दल क | दल ख | दल ग | दल घ | दल ड. |
|---|---|---|---|---|
| १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारो नाम | १. क उम्मेदवारको नाम |
| २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम |
| ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम |
| ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४.घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम |
| ५. ड. उम्मेदवारको नाम | ५. ड. उम्मेदवारको नाम | ५. ड. उम्मेदवारको नाम | ५. ड. उम्मेदवारको नाम | ५. ड. उम्मेदवारको नाम |

*स्रोतः मतपत्र ४.१, डगलस जे. एमी (२०००:८६) ।*

संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा दलको बन्दसूची अनुसार मतदान भएको थियो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा (५) मा उल्लेख भएको निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको (ख) अनुसार “राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित दुईसय चालीस जना सदस्य,” भनी उल्लेख छ । दफा (६) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका वारेमा भने “सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार भएको निर्वाचनमा कुनै राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको कूल मतसंख्याको अनुपातमा सो राजनैतिक दलका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुने” व्यवस्था गरेको छ । दफा (७) अनुसार “राजनैतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी त्यस्तो बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने” प्रावधान छ । यसले सानो र खास क्षेत्रमा सीमित राजनीतिक दललाई पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने अवसर सृजना गरेको छ ।

बन्दसूचीको आधारमा मात्र समानुपातिक नहुने भएको र नेपालको जातीय, लैंगिक र क्षेत्रगत विविधतालाई नसमेटीने भएकोले दफा (७) को उपदफा (३) मा समानुपातिकलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि गरेको व्यवस्था सिद्धान्ततः राम्रो छ, जुन यस अनुसार रहेको छ-

> “राजनैतिक दलले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पीछडिएको क्षेत्र, मधेसी, खस आर्य तथा अन्य समूह समेतको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुसूची-२ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । यसरी महिलाको उम्मेदवारी सूचीकृत गर्दा दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पीछडिएको क्षेत्र, मधेसी, खस आर्य तथा अन्य समूह समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप गर्नु पर्नेछ । मधेसीबाट उम्मेदवारी चयन गर्दा दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य समूह समेतको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी उम्मेदवारको सूची तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तयार गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगले तोकेको समयावधिभित्र सम्बन्धित राजनैतिक दलले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।”

दफा (७) को उपदफा (३) संग सम्बन्धित अनुसूची-१ मा छुट्याइएको निम्न उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि उम्मेदवारको प्रतिशत पनि सिद्धान्ततः समानुपातिक बनाउनका लागि राम्रो छः

| **क्र.सं.** | **प्रतिनिधित्व हुने समूह** | **उम्मेदवारको प्रतिशत** |
|---|---|---|
| | महिला ५० % | |
| १. मधेसी | महिला १५.६ % | पुरुष १५.६ % |
| २. दलित | महिला ६.५ % | पुरुष ६.५ % |
| ३. उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति | महिला १८.९ % | पुरुष १८.९ % |
| ४. पिछडिएको क्षेत्र**O** | महिला २ % | पुरुष २ % |
| ५. खस आर्य तथा अन्य* | महिला १५.१ % | पुरुष १५.१ % |

*स्पष्टीकरणः कतिपय उम्मेदवारले एकभन्दा बढी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुँदा सबै समूहको उम्मेदवार प्रतिशतको जोड सयभन्दा बढी प्रतिशत देखिन आएको छ ।*

द्रष्टव्य : **O**"पिछडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लालाई सम्झनु पर्छ ।

*"खस आर्य तथा अन्य" भन्नाले ब्राम्हण, क्षत्री, ठकुरी, दशनामी सन्यासी तथा यस अनुसूचीमा स्पष्ट उल्लेख नभएका अन्य समूहहरूलाई सम्झनु पर्छ ।

दफा (७) को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची-२ मा राजनैतिक दलको उम्मेदवारको बन्दसूचीको फाराम यस प्रकार छः

फाराम १. राजनैतिक दलको उम्मेदवारको बन्दसूची

| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | मधेसी | | उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति | | दलित | | पीछडिएको क्षेत्र | | खस आर्य तथा अन्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ............. | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष |
| २ | ............. | | | | | | | | | | |
| ३ | ............. | | | | | | | | | | |
| ४ | ............. | | | | | | | | | | |
| ५ | ............. | | | | | | | | | | |
| ६ | ............. | | | | | | | | | | |
| ७ | ............. | | | | | | | | | | |
| ८ | ............. | | | | | | | | | | |
| ९ | ............. | | | | | | | | | | |
| १० | ............. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| जम्माः- | | | | | | | | | | | |
| प्रतिशत | | | | | | | | | | | |

अधिकारप्राप्त व्यक्तिको

राजनैतिक दलको छाप सहीः ........ नाम : .............................

राजनैतिक दलको नाम : ............

मिति : ..................................

दफा (५८) मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणाअन्तर्गत उपदफा (२) मा "सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी निर्वाचन भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मत संख्याको विवरण मुलुकभरबाट प्राप्त गरिसकेपछि प्रत्येक राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत संख्याको अनुपातमा सो राजनैतिक दलले आयोग समक्ष पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारहरूमध्ये दफा (७) को उपदफा (७) बमोजिम राजनैतिक दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिको निर्णयले छनौट गरी आयोगसमक्ष पेश भएका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको घोषणा आयोगले गर्नेछ" भनिएको छ । उपदफा (३) मा "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत संख्याको अनुपातमा सो राजनैतिक दलले प्राप्त गर्ने सीट संख्याको निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले अनुसूची-३ मा उल्लेख भए बमोजिमको मत परिणाम विभाजक सूत्र अनुसार सो राजनैतिक दलले प्राप्त गर्ने सीट संख्याको निर्धारण गरिनेछ" भनिएको छ । अनुसूची-३ मा यस्तो उल्लेख छ-

"मत परिणाम विभाजकसूत्र अनुसार प्रत्येक राजनैतिक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्वतिले शृंखलावद्ध रूपमा भाग गरिनेछ । यस अनुसार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई धेरै भाजकहरूले भाग गरिन्छ (**उदाहरण : १.४, ३, ५, ७, ९ आदि**) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ । भागफल प्राप्त भएपछि सीट संख्याहरू ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँड गर्दै सीट नसकिँदासम्म बाँडफाँड गरिनेछ । यसरी बाँडफाँड गर्दा कुनै राजनैतिक दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए

तापनि त्यस्तो राजनैतिक दलले सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार संख्यामा सीमित रही त्यस्तो राजनैतिक दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँड गरिनेछ।

अनुसूची-३ मा दिइएको उदाहरण यस प्रकार छ:

तेह्रवटा सीटसंख्या पाँचवटा राजनैतिक दललाई बाँडफाँड गर्नु परेमा त्यस्ता दलले प्राप्त गरेको मत परिणामको आधारमा देहाय बमोजिम बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ-

| भाजक | दल क | दल ख | दल ग | दल घ | दल ङ |
|---|---|---|---|---|---|
| मत संख्या | -४,००,००० | १,००,००० | २,००,००० | ५०,००० | ५,५०,००० |
| १.४ | २,८५,७१४/२ | ७१,४२९/९ | १,४२,८५७/४ | ३५,७१४/३, | ९२,८५७/१ |
| ३ | १,३३,३३३/५ | ३३,३३३/ | ६६,६६७/१० | १६,६६७/ | १,८३,३३३/३ |
| ५ | ८०,०००/७ | २०,०००/ | ४०,०००/ | १०,०००/ | १,१०,०००/६ |
| ७ | ५७,१४३/ | १२ १४,२८६/ | २८,५७१/ | ७,१४३/ | ७८,५७१/८ |
| ९ | ४४,४४४/ | ११,१११/ | २२,२२२/ | ५,५५६/ | ६१,१११/११ |
| ११ | ३६,३६४/ | ९,०९१/ | १८,१४२/ | ४,५४५/ | ५०,०००/१३ |
| १३ | ३०,७६९/ | ७,६९२/ | १५,३८५/ | ३,८४६/ | ४२,३०८/ |
| परिणाम | ४ | १ | २ | ० | ६ |

**ख. दलको खुलासूची अनुसार मतदान:** मतदाताहरूलाई पार्टीलाई मात्र नभएर उम्मेदवारलाई समेत छनौट गर्ने अवसर दिन्छ। मतदाताले उम्मेदवारलाई मत दिन्छ र यो मत पार्टीका लागि पनि हो। यस्तो मतपत्रको व्यवस्था गरेको खण्डमा कुन उम्मेदवारले बढी वा घटी मत पायो भन्ने थाहा हुन्छ र पार्टीले जुन पायो त्यहीं उमेदवारलाई विजयी गर्ने छुट पनि रहँदैन।

मतपत्र २. खुल्ला दलको सूची मतदानपत्र

मतपत्र

.... का लागि चुनाव

मतदान लागि निर्देशन:

१. तपाईले एउटा मात्र मत दिन सक्नुहुन्छ।

२. तपाईले मत दिन चाहेको उम्मेदवारको नामको अगाडि भएको खाली कोठामा रेजा (✓) चिन्ह लगाउनुहोस्।

३. तपाईले दिनु भएको मत तपाईको उम्मेलवार र तपाईको दल दुवैका लागि गणना हुन्छ।

| दल क | दल ख | दल ग | दल घ | दल ङ. |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारको नाम | १. क उम्मेदवारको नाम |
| २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम | २. ख उम्मेदवारको नाम |
| ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम | ३. ग उम्मेदवारको नाम |
| ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम | ४. घ उम्मेदवारको नाम |
| ५. ङ. उम्मेदवारको नाम | ५. ङ. उम्मेदवारको नाम | ५. ङ. उम्मेदवारको नाम | ५. ङ. उम्मेदवारको नाम | ५. ङ. उम्मेदवारको नाम |

*स्रोत: मतपत्र ४.२, डगलस जे. एमी (२०००:८७)।*

यस्तो खुला दलको सूची मतपत्र प्रयोग गरी निर्वाचन गर्दा मतगणना गर्ने तरिकाको उदाहरण यस प्रकार दिइएको छ:

तालिका ४. मतगणना गर्ने तरिकाको उदाहरण

| राजदैतिक दल | मत | सीटको पहिलो छनौट | बाँकी मत | सीटको दोश्रो बाँडफाँड | अन्तिम सीट बाँडफाँड | **मतको प्रतिशतको तुलनामा सीटको प्रतिशत** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क | ३८,००० | ३ | **८,०००** | १ | ४ | ३८% । ४०% |
| ख | २३,००० | २ | ३,००० | ० | २ | २३% । २०% |
| ग | २१,००० | १ | १,००० | ० | २ | २१% । २०% |
| घ | १२,००० | २ | २,००० | ० | १ | १२% । १०% |
| ङ | ६,००० | ० | **६,०००** | १ | १ | ६% । १० % |

*स्रोत: डगलस जे. एमी (२०००:८८) को तालिका ४.२।*

तालिका ४ अनुसार जम्मा १००,००० मत खसेको छ। निर्वाचित हुने सीट जम्मा १० वटा छ। १००,००० मतलाई १० सीटले भाग गर्दा कोटा १०,००० हुन्छ। १०,००० वरावर एउटा सीट हुन्छ। (क) ले ३८,००० मत पाएकोमा १०,००० ले भाग गर्दा ३ सीट र बाँकी मत ८,००० हुन्छ। यो हिसाव सबै उम्मेदवारको हुन्छ र बाँकी रहेका मतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत जसको छ उसैले बाँकीमध्येका एक एक सीट पाउँदै जान्छ।यो उदाहरणमा पहिलो चरणमा ८ सीट गइसकेकोले दोस्रो चरणमा २ दलले एक/एक सीट पायो। यस्तो व्यवस्थाको फाइदा हुन्- अत्यन्त समानुपातिक हुने, दल र सवाल केन्द्रित राजनैतिक अभियान हुने, बन्दसूचीमा उम्मेदवारको विविधता हुन, खुला पद्धतिमा मतदाताको शक्ति बढी हुने, तर यस्तो व्यवस्थाको बेफाइदा भने चुनावक्षेत्र र जनप्रतिनिधिबीच कमजोर सम्बन्ध हुने, बन्दसूचीमा दलको शक्ति बढी हुने र खुल्लासूचीमा दलभित्र आन्तरिक घात बढी हुन सक्छ।

## मिश्रित-सदस्य समानुपातिक मतदान (वा समानान्तर मतदान)

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० को दफा (४) अनुसार संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ-

(क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, र

(ख) राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

मिश्रित-सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मतदानलाई समानान्तर मतदान पनि भन्ने गरिन्छ। मिश्रित-सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मतदानपत्र निम्न बमोजिम प्रयोग गरिन्छः

मतपत्र ३. मिश्रित-सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मतदान वा समानान्तर मतदान

आधिकारिक मतपत्र
प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन
निर्वाचन क्षेत्र एक

तपाईसँग दुईवटा मत (भोट) छ

**निर्वाचन क्षेत्रको मत**

यो मतले प्रतिनिधिसभामा कुन उम्मेदवार विजयीहुन्छ भन्नेकुराको निर्णय गर्दछ । आफूले छनौट गरेको उम्मेदवारको नामको ठीक अगाडिको खाली कोठामा रेजा (☐) चिन्ह लगाउनुहोस् ।
एउटा उम्मेदवारलाई एउटा मात्र मत (भोट) दिनु होस् ।

| मत (भोट) यहां | |
|---|---|
| | उम्मेदवारको नाम<br>दलको नाम |
| | उम्मेदवारको नाम<br>दलको नाम |
| | उम्मेदवारको नाम<br>दलको नाम |
| | उम्मेदवारको नाम<br>दलको नाम |
| | उम्मेदवारको नाम<br>दलको नाम |
| | |

**दलको मत**

यो मतले प्रतिनिधिसभामा कुन दलको कति सीट हुन्छ भन्नेकुराले निर्णय गर्दछ । आफूले छनौट गरेको दलको नामको ठीक अगाडिको खाली कोठामा रेजा (☐) चिन्ह लगाउनुहोस् ।
एउटा उम्मेदवारलाई एउटा मात्र मत (भोट) दिनु होस् ।

| मत (भोट) यहां | |
|---|---|
| | दलको नाम<br>उम्मेदवारहरू सबैको नाम |
| | दलको नाम<br>उम्मेदवारहरू सबैको नाम |
| | दलको नाम<br>उम्मेदवारहरू सबैको नाम |
| | दलको नाम<br>उम्मेदवारहरू सबैको नाम |
| | दलको नाम<br>उम्मेदवारहरू सबैको नाम |
| | दलको नाम<br>उम्मेदवारहरू सबैको नाम |

*स्रोतः मतपत्र ४.३, डगलस जे. एमी (२०००:९१) मा आधारित ।*

नेपालको दुवै संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्दा मतपत्र (३) मा उल्लेख भए बमोजिमको मतपत्र प्रयोग नगरी पहिलो हुने निर्वाचित हुनेको छुट्टै मतपत्र र समानुपातिकका लागि छुट्टै मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो ।

तालिका ५. मिश्रित सदस्य समानुपातिक मतदानमा मतदानको नतिजा र सीटको चयनको उदाहरणः

| राजनैतिक दल | निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी सीटसंख्या | राष्ट्रिय दलको सूचीमा पाएको मतको प्रतिशत | दलले पाउनुपर्ने कूल सीटसंख्या | दलको सूचीबाट थपिएको सीटको संख्या |
|---|---|---|---|---|
| क | २० | ५० | ५० | ३० |
| ख | ५ | १० | १० | ५ |
| ग | १२ | १२ | १२ | ० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| घ | १० | २० | २० | १० |
| मैथिल पार्टी | ३ | ८ | ८ | ५ |

*स्रोत: डगलस जे. एमी (२०००:८८) को तालिकामा आधारित ।*

समानानान्तर मतदानको नतिजा र सीटको चयनको उदाहरण यस प्रकार दिइएको छ-

तालिका ६. समानानान्तर मतदानको नतिजा र सीटको चयनको उदाहरण:

| राजनैतिक दल | निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी सीटसंख्या | राष्ट्रिय दलको सूचीमा पाएको मतको प्रतिशत | दलले पाउनुपर्ने कूल सीटसंख्या | दलको सूचीबाट थपिएको सीटको संख्या |
|---|---|---|---|---|
| जनजाति पार्टी | २० | ५० | २५ | ४५ |
| सिमेभूमे पार्टी | ५ | १० | ५ | १० |
| पण्डित पार्टी | १२ | १२ | ६ | १८ |
| दलित पार्टी | १० | २० | १० | २० |
| मैथिल पार्टी | ३ | ८ | ४ | ७ |

*स्रोत: डगलस जे. एमी (२०००:८८) को तालिकाको आधारमा भिन्न नाम र संख्याको प्रयोग ।*

यस्तो व्यवस्थाको फाइदा भौगोलिक प्रतिनिधित्व र राजनैतिक अभिमतको राम्रो अभिव्यक्ति हुन् । तर बेफाइदामा दुई थरिका विधायक, ठूला दललाई फाइदा, केही इमान्दार मतदाताहरूलाई निरुत्साह, बहुमतको शासनको उल्लंघन र निर्वाचनमा दलले बेकाइदा गर्नसक्ने हुन सक्छन् ।

### एकल हस्तान्तरणीय वा छनौटको मतदान

एकल हस्तान्तरणीय वा छनौटको मतदानमा एउटा उम्मेदवारलाई एउटा मत, तर प्राथमिकताका अधिकारमा सबै उम्मेदवारलाई मत दिन सकिन्छ । जस्तै:

मतपत्र ४. एकल हस्तान्तरणीय वा छनौटको मतदान

| आधिकारिक मतपत्र<br>.... निर्वाचन | | |
|---|---|---|
| | ...का लागि उम्मेदवार<br>(तीनजना निर्वाचित हुने) | एउटा उम्मेदवारका लागि एक मत (भोट) मात्र ।<br><br>एक कलममा एक मत (भोट) मात्र । |
| मतदातालाई निर्देशन | उम्मेदवार<br>दलको नाम | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| तपाईको छनौटलाई संख्या उल्लिखित कोठामा मात्र भर्ने तपाईको पहिलो छनौटलाई कोष्ठमा भर्ने । १ | उम्मेदवार<br>दलको नाम | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| | उम्मेदवार<br>दलको नाम | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| दास्रो छनौटलाई कोठामा भर्ने । २ | उम्मेदवार<br>दलको नाम | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| | उम्मेदवार<br>दलको नाम | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| आफूले चाहे जति भर्ने तर एउटा उम्मेदवारका लागि एउटाभन्दा बढी कोष्ठमा नभर्ने र एउटा कलममा एउटा कोष्ठमा भन्दा बढी नभर्ने । | उम्मेदवार<br>दलको नाम | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| | लेख्ने | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| | लेख्ने | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |
| | लेख्ने | १ २ ३ ४ ४ ६ ७ ८ ९ |

*स्रोत: मतपत्र ४.४, डगलस जे. एमी (२०००:९१) ।*

एकल हस्तान्तरणीय वा छनौटको मत गणना यस प्रकार हुन्छ:

मतगणनाको प्रक्रिया

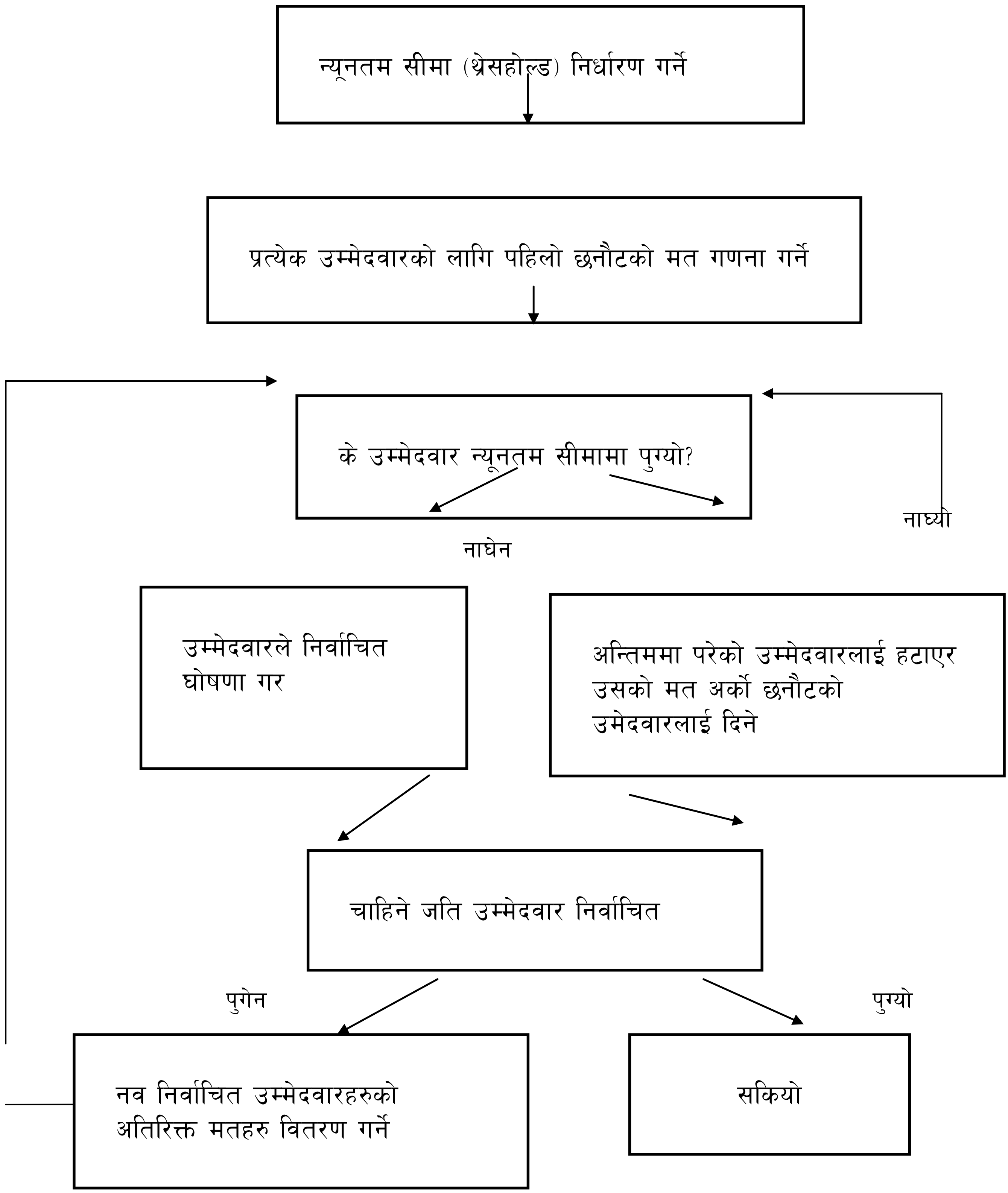

एकल हस्तान्तरणीय वा छनौटको मतगणनाको उदाहरण यस्तो दिइएको छ-

तालिका ६. मतगणनाको उदाहरण:

| उम्मेदवार | पहिलो गन्ति | दोस्रो गन्ति | तेस्रो गन्ति | चौथो गन्ति | पाँचौ गन्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | मतसंख्या | सोभ्mो दमाईको मत हस्तान्तरण र नतिजा | सम्झना यादवको मत हस्तान्तरण र नतिजा | बलवान क्षेत्रीको मत हस्तान्तरण र नतिजा | सन्त राउटेको मत हस्तान्तरण र नतिजा |
| उम्मेदवार दलको नाम | ४०० | +३०० ७०० | ७०० | ७०० | ... |
| उम्मेदवार दलको नाम | २,३०० | २,३०० | +५०० २,८०० | २,५०१ | २,५०१ |
| उम्मेदवार दलको नाम | २,००० | २,००० | २,००० | +२०० २,२०० | +१०० २,३०० |
| उम्मेदवार दलको नाम | २,९०० | २,५०१ | २,५०१ | २,५०१ | २,५०१ |
| उम्म्मेदवार दलको नाम | १,८०० | +९९ १,८९९ | +१०० १,९९९ | +९९ २,०९८ | +६०० २,६९८ |
| उम्मेदवार दलको नाम | ६०० | ६०० | ... | ... | ... |

९ विजयी उम्मेदवारहरू
स्रोत: तालिका ४.४, डगलस जे. एमी (२०००:९१) मा आधारित ।

एकल हस्तान्तरणीय वा छनौटको फाइदा हुन्- मतदाताको छनौट अत्यधिक हुने, दललाई नभएर उम्मेदवारलाई मतदान दिने, दलीय आधार नभएको ठाउँमा उपयोगी हुने, सबै उत्तिकै निर्वाचान क्षेत्रका जनप्रतिनिधि हुन, निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताविचको सम्बन्ध राम्रो हुन, मतदातालेनै प्रतिनिधित्वको आधार तय गर्ने, नकारात्मक चुनावी अभियान कम हुन, प्रारम्भीक निर्वाचन नचाहिन, तर बेफाइदामा मत गणना गर्न जटील हुने, अन्तरदलीय प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा पुग्ने, दलले बेकाइदा गर्न सक्ने, मतपत्रमा अत्यधिक छनौट हुने, केही कम समानुपातिक परिणाम आउने र मत हस्तान्तरण हुँदा केही धेरै मत पाएकालाई चोट पुग्न सक्ने हुनसक्छ ।

**प्रस्तोता: डा. कृष्णबहादुर भट्टचन**

# संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था किन ?

Article 1 “All human beings are born free and equal in dignity and rights” UDHR 1948

- मानवजीवन, स्वतन्त्रता, समानता, र स्वाभिमानको रक्षा
- राज्यबाट नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनबाट रोक

आदिवासी जनजातिको अधिकार र माग

- ☐ साँस्कृतिक लक्ष्यः साँस्कृतिक दमन, बाह्य प्रभुत्वको अन्त्य, आदिवासी संस्कृतिको पूर्णता
- ☐ राजनैतिक लक्ष्यः राज्यबाट सार्वभौमिताको मान्यता, आत्मनिर्णयको अधिकार
- ☐ आर्थिक लक्ष्यः आफ्नो स्रोतहरू र आन्तरिक अर्थ व्यवस्थामाथि नियन्त्रण, सम्भावना, समानता

संविधानसभा २०६४, मस्यौदा समितिको सिफारिश - मौलिक अधिकारका ३१ धाराहरू

१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः
२. स्वतन्त्रताको हकः
३. समानताको हकः
४. आमसञ्चारसम्बन्धी हकः
५. न्यायसम्बन्धी हकः
६. अपराधका पीडितको हकः
७. यातनाविरुद्धको हकः
८. निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकः
९. छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकः
१०. सम्पत्तिसम्बन्धी हकः
११. धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः
१२. सूचनाको हकः
१३. गोपनीयताको हकः
१४. शोषणविरुद्धको हकः
१५. वातावरण सम्बन्धी हकः
१६. शिक्षासम्बन्धी हकः
१७. भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकः
१८. रोजगारीसम्बन्धी हकः
१९. श्रमसम्बन्धी हकः
२०. स्वास्थ्यसम्बन्धी हकः
२१. खाद्यसम्बन्धी हकः
२२. आवाससम्बन्धी हकः
२३. महिलाको हकः
२४. बालबालिकाको हकः
२५. दलित समुदायको हकः
२६. परिवार सम्बन्धी हकः
२७. सामाजिक न्यायको हकः
२९. उपभोक्ताको हकः
२८. सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकः विपन्न वर्ग, अशक्त,

अहिले हामी कहाँ छौं र के गर्ने ?

- ☐ संविधानसभा २०६४, मस्यौदा समितिको सिफारिश- मौलिक अधिकार का ३१ धाराहरू
- ☐ संविधानसभा २०६४, मस्यौदा समितिको सिफारिश- मौलिक अधिकारका ३१ धाराहरूमा समितिका सदस्यहरूको फरक मत
- ☐ आदिवासीजनजाति संविधानसभा ककसले गरेको समिक्षा र संशोधन सिफारिश
- ☐ संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समिति, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये असहमतिका विषयहरूको निर्क्यौल सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१
- ☐ अहिले राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा भइरहेको छलफल

**आदिवासी जनजाति संविधानसभा ककसले गरेको समिक्षा र संशोधन सिफारिश**

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः
(१) प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) आदिवासी जनजातिलाई पहिचानसहित व्यक्तिगत र सामुहिक रूपमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।

स्वतन्त्रताको हकः
(२) (ग) प्रत्येक नागरिक तथा समुदायलाई संघसंस्था खोल्ने वा परम्परागत एवं प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था संचालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछः ।

न्यायसम्बन्धी हक :
(५) (१०) कुनै पनि व्यक्ति तथा समुदायको न्यायिक हक संरक्षित हुनेछ । आदिवासी जनजातिहरूलाई यस संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डअनुरूप आफ्नो न्यायिक संस्था र प्रथाजनित कानूनको अभ्यास गर्ने हक हुनेछ ।
न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानूनको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मापदण्डअनुरूप मान्यता हुनेछ ।

संविधानसभा २०६४ को आदिवासी जनजाति संविधानसभा ककसले थपेको धाराहरू

- ☐ आत्मनिर्णयको हक
- ☐ भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको हक
- ☐ आदिवासी ज्ञान र सम्पदाको हक
- ☐ आदिवासी जनजाति महिला अधिकार
- ☐ अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएकाको अधिकार

**Constitution of India**

- ☐ FIFTH SCHEDULE [Article 244(1)] Provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes

- SIXTH SCHEDULE [Articles 244(2) and 275(1) ], Provisions as to the Administration of Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.
- PART XVI SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES (Article 330 Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.)

**Constitution of China**

- Article 4 [Nationalities, Minorities, Regions, Languages] (1) All nationalities in the People's Republic of China are equal. The state protects the lawful rights and interests of the minority nationalities and upholds and develops the relationship of equality, unity, and mutual assistance among all of China's nationalities. Discrimination against and oppression of any nationality are prohibited; any acts that undermine the unity of the nationalities or instigate their secession are prohibited. The state helps the areas inhabited by minority nationalities speed up their economic and cultural development in accordance with the peculiarities and needs of the different minority nationalities.

**Constitution of Bolivia**

Chapter IV: Rights of Indigenous and Original peoples and Communities

Article 30

I. The group of people who share cultural identity, language, historic tradition, institutions, territory and world vision and whose existence predates the invasion of the colonial Spanish, collectively.....

Constitution of Canada

भाग २) क्यानडाको आदिम व्यक्तिहरूको अधिकार

३५. १) क्यानडाको आदिम व्यक्तिहरूको विद्यमान र सन्धिसम्वन्धी अधिकारलाई मान्यता दिइने र स्वीकार गरिनेछ ।

२) यस विधानअनुसार “क्यानडाको आदिम व्यक्ति” भन्नाले क्यानडाको इण्डियन र इनुइटलाई बुझाउँछ ।

३) स्पष्ट निश्चितताको लागि उपधारा (१) को “सन्धिसम्वन्धी अधिकार” विद्यमान भूमि दावीसम्बन्धी सम्झौता वा त्यसअनुसार प्राप्त गरिने कुरालाई समावेश गरेको मानिनेछ ।

४) यस विधानको अन्य प्रावधानमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि उपधारा (१) मा उल्लीखित आदिम र सन्धिसम्वन्धी अधिकार समान रूपले पुरुष र महिलालाई प्रत्याभूति गरिएको छ ।

३५. १) संविधान सम्वन्धी ऐन, १८६७ को धारा (९१) को वर्ग २४, यस विधानको धारा २५ वा यस भागलाई संशोधन गर्नुभन्दा पहिले क्यानडाको सरकार र प्रान्तीय सरकारहरू ती सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध छन् ।

**Constitution of Ecuador**

Title II Rights

Chapter IV: Rights of the Communities, Villages and indigenous peoples

Article 56 The communities, villages and indigenous nationalities, the Afro-ecuadorian villages, the “montubio” villages and the communes that form part of the Ecuadorian State are singular and indivisible.

Article 57 In conformity with the Constitution and other pacts, conventions, declarations and other international human rights instruments, the following collective rights are recognized and guaranteed for the indigenous communes, communities, villages and nationalities:

1. Maintain, develop and fortify freely their identity, sense of ownership, ancestral traditions and forms of social organization.
2. To not be objects of racism or any other forms of discrimination based on their origin, ethnic or cultural identity.
3. Recognition, reparation and compensation for the collective affects of racism, xenophobia, and other connected forms of intolerance and discrimination.
4. To conserve the ownership of the imprescriptible communicatarian lands, that will be inalienable, inalienable and indivisible. These lands will be free from property rates and taxes.
5. To maintain the possession of ancestral land and territories and to be awarded ownership for free.
6. To participate in the use, usufruct, administration and conservation of the renewable natural resources in their land.
7. To previous consultation, free and informed, and on reasonable terms, about plans and programs regarding the prospection, exploitation and commercialization of non-renewable resources found on their lands and programs that will affect them environmentally and culturally......

Guatemala (Constitution of 1985, with 1993 reforms)

**Chapter II: Social Rights**

**3 Indigenous Communities**

- **Article 66- Protection of ethnic groups.** Guatemala is formed by diverse ethnic groups, amongst those the indigenous peoples of Mayan descent. The State recognizes, respects and promotes their forms of life, customs, traditions, forms of social organization, use of indigenous clothing for men and women, languages and dialects.
- **Article 67- Protection of indigenous lands and agricultural cooperatives.** The lands of the cooperatives, indigenous communities or whatever other form of communal possession or collective agricultural ownership, like family patrimony and popular housing, will enjoy special protection from the State, including credit assistance and technical preference, that will guarantee the possession and development of the land, and finally will secure a better quality of life for all of the inhabitants
- The indigenous communities and others who

have land that has historically belonged to them and that traditionally was administered in a special form will maintain these systems.

- **Article 68- Land for Indigenous Communities.** Through special programs and adequate legislation, the State will provide state land to indigenous communities who need it for their development.

**मौलिक अधिकार तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समिति (आदिवासी जनजाति ककसको सुझाव)**

२५, आदिवासी जनजातिको हक

(१) आदिवासी जनजातिहरूलाई आत्मनिर्णय, जातीय स्वशासन र स्वायत्तताको हक हुनेछ ।

(२) राज्यको सबै तहका निकायहरूमा जातीय जनसंख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ र प्रत्येक अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति समूहलाई विशेष प्रतिनिधित्वको र पहुँचको हक हुनेछ ।

(३) आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रभावित पार्ने निर्णय गर्ने कुनै पनि निकायहरूमा उनीहरूलाई आफ्नै परम्परागत पद्धति र संस्थामार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने हक हुनेछ ।

(४) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो परम्परागत पूर्ख्यौली भूमि, जंल, जंगल र जमीनलगायतको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अग्राधिकार हुनेछ ।

(५) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पहिचान, आध्यात्मिकता, रीतिथिति, जीवनशैली, संस्था, ज्ञान, शीपको अभ्यास र स्व-व्यवस्थापनलगायत समग्र साँस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने र सम्वर्द्धन गर्ने सामुहिक एवं सामुदायिक हक हुनेछ ।

(६) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो स्वशासित भूमिमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ ।

(७) आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको परम्परागत भूमि, प्राकृतिकस्रोत तथा जैविक विविधतामा पहुँच, नियन्त्रण, स्व-व्यवस्थापन गर्ने तथा परम्परागत ज्ञान, शीप र अभ्यासको संरक्षण सम्वर्द्धन तथा प्रयोग गर्ने एवं समन्यायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

(८) देशको सम्पूर्ण स्रोतसाधन र सेवाहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको समानुपातिक पहुँचको हक हुने छ ।

(९) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो मातृभाषा र लिपिमा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने, शिक्षण संस्था संचालन गर्ने, राज्यको सरकारी कामकाज तथा अड्डाअदालतमा आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो मातृभाषामा सूचना हासिल गर्न पाउने तथा आफ्नो परम्परागत (प्रथाजन्य) कानून एवं न्यायिक प्रणाली र न्यायिक संस्थागत संरचनाहरू कायम राख्ने तथा अभ्यास गर्ने हक हुनेछ ।

१०) आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो भौतिक तथा अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने, आफ्नो परम्परागत संस्कृति, ज्ञान, शीप, कला, साहित्य, लोकपरम्परा र सोसँग जोडिएर आउने बौद्धिक सम्पति र सोको संरक्षण संम्वर्द्धन, नियन्त्रण तथा अवलम्बन गर्ने हक हुनेछ ।

(११) गैरआवासीय आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूले चाहेमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

(१२) राज्यका कुनै पनि निकायले आदिवासी जनजातिहरूलाई प्रभावित पार्ने तथा उनीहरूको सरोकारका विषयमा कुनै पनि निर्णय वा कार्य गर्दा आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित, सहमति (Free, Prior, Informed consent) अनिवार्य लिनुपर्ने छ ।

(१३) यस संविधान र कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा घोषणापत्रले व्यवस्था गरेका आदिवासी जनजातिको व्यक्तिगत तथा सामूहिक हकहरू अहरणीय, अविभाज्य र अनतिक्रम्य हुनेछन् र राज्यले तिनको सुनिश्चितता, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नेछ । कानूनको अभाव वा कुनै कारणमा यी हकहरूको अपहेलना गर्न पाइने छैन ।

**प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति (आदिवासी जनजाति ककसको सुझाव)**

१. भूमि, भू-क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतः

क) आदिवासी जनजातिहरूले परम्परागत रूपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएका र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भूमि, भू-क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि उनीहरूको सामुहिक सार्वभौम हक र अग्राधिकार हुनेछ ।

ख) प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, व्यवस्थापन तथा प्राप्त लाभमा आदिवासी जनजातिको र स्थानीय समुदायको समन्यायिक बाँडफाँड (Equitable Sharing)को हक हुनेछ ।

२. परामर्श, सहभागिता र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतिको हकः

आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत साधनसंग सम्बन्धित परियोजना, उद्योगधन्दालगायत कुनै पनि विकासका गतिविधि सन्चालन गर्दा आदिवासी जनजातिहरूलाई परामर्श (Consultation), सहभागिता(Participation) र स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति (Free Prior Informed Consent) को हक हुनेछ ।

३. सन्धि सम्झौताः

क) कुनै पनि प्रदेश र आदिवासी जनजातिलाइ प्रभाव पार्ने सन्धि सम्झौता गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र आदिवासी जनजातिको सहमति अनिवार्य हुने छ ।

ख) प्रदेशको विकास एवं सम्वृद्धिका लागि आर्थिक, व्यापारिक एवं साँस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश तथा क्षेत्रलाई हुनेछ ।

४. आदिवासी जनजातिको श्रमको हकः

आदिवासी जनजाति श्रमिकहरूलाई आफ्नै श्रम संगठन (Trade Union) निर्माण गर्ने र सामुहिक सौदावाजी (Collective Bargaining) गर्ने हक हुने छ ।

५. रोजगारीको अधिकारः

रोजगारीका सबै क्षेत्रहरूमा आदिवासीजनजातिको पहिलो हक हुनेछ ।

६. राजस्व तथा स्रोतको बाँडफाँडः

राजस्वको ५० प्रतिशत संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय (संघीय) संचितकोषमा राखी बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई वितरण गर्नेछ ।

७. भूमि सुधारः

क) आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको पैतृक भूमिबाट

विस्थापन गर्न पाइने छैन । कुनै कारणले विस्थापन गर्न परे पूर्ण क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको अधिकार हुनेछ ।

ख) भूमि व्यवस्थामा सुधार गर्दा भूमिहीन आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।

ग) आदिवासी जनजातिहरूको पैतृक भूमि विगतमा राज्यले वा गैरआदिवासी समुदायले जालझेल, करकाप र बलपूर्वक लिएको भएमा त्यसको आवश्यक छानवीन गरी विगतको अन्यायको उचित सम्बोधन गर्नेछ ।

८. परम्परागत पेशाको अधिकारः

जैविक विविधतासम्बन्धी परम्परागत आदिवासी ज्ञान, शीप तथा अभ्यासको स्वामित्व, संरक्षण सम्वर्द्धन र सोबाट प्राप्त लाभको अधिकार आदिवासी जनजातिहरूमा निहित रहनेछ ।

**आत्मनिर्णयको हक**

(१) आदिवासी जनजातिलाई आत्म-निर्णयको हक हुनेछ, । यसको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक अवस्था निर्धारण गर्ने, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास गर्ने, आफ्नो परम्परागत भूमि तथा प्राकृतिकस्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, उपभोग र व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

(२) आदिवासी जनजातिले आत्मनिर्णयको हक स्वायत्तता र स्वशासनमार्फत अभ्यास गर्नेछन् ।

(३) आदिवासी जनजातिलाई सबै क्षेत्र र तहका निर्णय गर्ने राज्यसंरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको आधारामा प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ । राज्यले छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र र प्रणाली लगायतका उपायद्वारा आदिवासी जनजातिलाई समान हैसियत र अधिकार उपभोग गराउने व्यवस्था गर्नेछ ।

- ☐ (४) आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूसंग सम्बन्धित र सरोकार रहने कानून निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्दा , भूमि व्यवस्थापन, प्रशासनिक, नीतिगत तथा विकाससम्बन्धी कार्य गर्दा उनीहरूको परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत स्वतन्त्र अग्रीम सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ ।
- ☐ (५) राज्यले स्वतन्त्र अग्रीम सुसूचित सहमति, सहभागिता र प्रतिनिधित्व कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानून, नियम वा नीति बनाउने छ ।

परिभाषा (आदिवासी जनजाति भन्नाले भूमिसंग ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका, हिन्दु वर्ण व्यवस्थाभित्र नपर्ने तथा वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनमा मतवाली जनाइएका, राज्य संरचनाबाट बहिष्करणमा पारिएका तथा प्रभुत्वहीन अवस्थामा रहेका, आफ्नै विशिष्ट सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, विशेषता भएका, आफ्नै आर्थिक प्रणाली भएका, मौलिक राजनीतिक प्रणाली, संस्था, प्रथा, प्रथाजनिक कानून, परम्परा, लिखित वा अलिखित इतिहास भएका र आत्मनिर्णयको अधिकार तथा जातीय स्वसाशन एवं स्वायत्तताको अधिकार उपभोग गरिआएका र गर्न चाहने समुदायलाई जनाउँदछ ।)

भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको हक

आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो पूर्ख्यौली भूमि, भू-क्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको स्वामित्व, प्रयोग, उपभोग, व्यवस्थापन, संरक्षण र नियन्त्रणको हक हुनेछ ।

आदिवासी ज्ञान र सम्पदाको हक

- ☐ आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो परम्परागत मौलिक कला, ज्ञान, शीप वा दक्षतालाई बौद्धिक सम्पतिको रूपमा पञ्जीकरण गरी उपयोग, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक हुनेछ । यस्तो हक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
- ☐ आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो साँस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्वर्द्धन र विकास गर्ने हक हुनेछ । यस्तो हक अनतिक्रम्य हुनेछ ।

आदिवासी जनजाति महिला अधिकार

- ☐ (१) आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारः आदिवासी जनजाति महिलालाई पहिचानको अधिकार हुनेछ । उत्पति तथा पहिचानको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद तथा शोषण विरुद्ध प्रभावकारी उपचारको हक हुनेछ ।
- ☐ (२) आदिवासी जनजाति महिलाहरूको उत्थान, विकास र अधिकारको संरक्षणको लागि राज्यले कानून, नीति तथा कार्यक्रम वा विशेष उपायद्वारा संरक्षित गर्नेछ ।

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएकाको अधिकार

परिभाषाः (क) अल्पसंख्यक भन्नाले देहायका विशेषता भएका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह वा समुदायलाई जनाउनेछ -

(१) राज्यद्वारा सबैखाले विभेद र उत्पीडनमा पारिएका तथा राज्यसत्तामा पहुचँ नभएका,

(२) आफ्नो जातीय, भाषिक र धार्मिक विशेषता भएका,

(३) पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम कायम कूल जनसंख्याको सापेक्षित रूपमा कम जनसंख्या भएका,

☐☐☐

मौलिक अधिकार सम्बन्धी सभासदहरु तथा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूबीच सम्वाद कार्यक्रममा प्रस्तुत-Power-point presentation

**प्रस्तोता : डा. मुक्तसिंह तामाङ,** त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं

# संघीय नेपालको प्रस्तावनाः आरोह अवरोह

| क्र.स. | खोजी | पृष्ठभूमि/अवस्था |
|---|---|---|
| १.प्रारम्भ | जातीय संघीयता | आन्दोलन/विद्रोह |
| २.परिमार्जन | पहिचानजनित संघीयता | सम्वाद/शक्ति सन्तुलन |
| ३.बैठान (सम्भावित) | क्षेत्रीय संघीयता | भोटबाट निर्णय/शक्ति सन्तुलन |
| ४.पुनः उठान | जातीय संघीयता | विद्रोह/संविधानको मस्यौदा आएपछि |

चौथो चक्रमा मूलकर्ता जातीय संगठन (ethnic organization) नभई राष्ट्रिय समूह (nationalities groups) हुने सम्भावना हुन्छ ।

राजनीतिक दल र नेतृत्व दुरदर्शी भए तेस्रो चक्रमै पहिचानजनित संघीयतामा टुङ्गिन सक्छ ।

**किन नेपाललाई संघीय राज्यमा रूपान्तरित गर्नु पर्‍यो ?**

१. एकत्वको राष्ट्रवादले सामाजिक विविधता, जातीय असमानता र विभेदमा परिणत हुन गए । (see reference, slide no. 1)

२. संघीय नेपालको जननीः (क) जातीय स्वशासनको नारासहित भएको जनजाति आन्दोलन, (ख) मधेसमा उत्पन्न क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, र (ग) जनयुद्धताका माओवादीले प्रतिपादन गरेको वर्गीय शोषण र जातीय उत्पीडनको सफल संयोजनको पृष्ठभूमिमा घोषणा गरेको संघीय नेपालको उद्देश्य ।

३. जातीय असमानता र विभेदको अन्त्यको लागि संघीयताः जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, क्षेत्रीय (लैङ्गिक, वर्गीय, धार्मिक) भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ । (अन्तरिम संविधान, धारा १३८)

४. मधेसी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पीछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क राज्य हुनेछ । (अन्तरिम संविधान, धारा १३८ (१क)

५. मधेस, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ्ग, थरुहट आदि प्रदेशको किटानीसाथ सरकारले सरोकारवाला समूहहरूसँग प्रथम संविधानसभा निर्वाचन अघि गरिएका सम्झौताहरू । तसर्थ, पहिचान र सामर्थ्यमध्ये पहिचान प्रदेश निर्माणको प्राथमिक आधार ।

**प्रदेश निर्माणको आधारः**

क) समितिः पहिचान र सामर्थ्य, प्रथामिक आधार पहिचान

प्रमुख आधार पहिचानः

१. जातीय/समुदाय,

२. भाषिक र

३. साँस्कृतिक

सहायक आधार पहिचानः

४. भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता (dependent, also see) सीमाङ्कनको आधार,

५. ऐतिहासिक निरन्तरता (dependent), जातीय वा भाषिक वा साँस्कृतिक समुदायको बसोवासको ऐतिहासिक निरन्तरता ।

**सहायक आधार सामर्थ्य :**

१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य,

२) पूर्वाधार विकासको अवस्था तथा सम्भावना,

३) प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता

४) प्रशासनिक सुगमता

ख) आयोग : सामर्थ्यसहितको पहिचान (identity with capability)

ग).फरक मत : सामार्थ्य प्रधान, पहिचान गौण

पहिचानजनित र क्षेत्रीय/प्रशासनिक संघीयताः

| | पहिचानजनित संघीयता | क्षेत्रीय/प्रशासनिक संघीयता |
|---|---|---|
| १. प्रदेशको नाम | जातीय पहिचान | गैरजातीय |
| २. प्रदेशको संख्या | (क) १०० भन्दा बढी जनसंख्या भएको जातीय/भाषिक/साँस्कृतिक समूह (ख) १०–१४ | (क) भौगोलिक तथा साँस्कृतिक निकट्ता (ख) ५–७ |
| ३. सीमाङ्कन | लक्षित जातिको बस्तिको निरन्तरता | उत्तर–दक्षिण (जिल्लाको सीमाना यथावत) |
| ४. अल्पसंख्यक | स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र | यसको आवश्यकता छैन |
| ५. आत्मनिर्णयको अधिकार | भूमिसन्तानको सामुहिक अधिकार | यसको आवश्यकता छैन |
| ६. सामाजिक–राजनीतिक सम्बन्ध | परिवर्तन | यथास्थिति |

**प्रदेशको नामाङ्कन**

**पहिचान पक्षधरको पहिलो प्राथमिकताः**

जातीय, भाषिक, र क्षेत्रीय पहिचानको नाम, जस्तै लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, सुनकोशी, नारायणी, कर्णाली, खप्तड, मिथिला–भोजपुरा–कोच मधेस र लुम्बिनी–अवध–थरूवान । किनभने पहिचानलाई प्रदेश निर्माणको प्राथमिक आधार बनाउने कुरामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएका सबै दलहरू समावेश भएको ४३ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सिद्धान्त हो । पहिचानको प्रारम्भ नामबाट हुन्छ ।

**गैरपहिचान पक्षधरको पहिलो प्राथमिकताः**

गैरजातीय नाम, किनभने प्रस्तावित धेरैजसो प्रदेश जातजातिको बसोवासको हिसाबले बहुसाँस्कृतिक भएकोले जातजाति निरपेक्ष नाम खोज्नु पर्दछ । जस्तै, सृजंगा, सिम्रौनगढ, सगरमाथा, गण्डकी, लुम्बिनी, र कर्णाली ।

**संभावित सम्झौताः**

संयुक्त नाम, जस्तै लिम्बुवान–मेची

प्रदेशको संख्या

समितिः १४ प्रदेश, आधारः पहिचान

तय भएको मापदण्ड विपरीत शेर्पा र जडान प्रदेश प्रस्ताव भएको साथै ऐतिहासिक निरन्तरता नभए तापनि खास साँस्कृतिक समुदायको बसोवासको भौगोलिक निरन्तरताको

आधारमा सुनकोशी र नारायणी प्रदेशको प्रस्ताव ।

फरक मतः ५–७ प्रदेश, आधारः

(क) भौगोलिक तथा साँस्कृतिक निकट्ता

(ख) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र

(ग). प्रशासनिक सुगमता

हिमाल/पहाडको लागि प्रस्तावित लिम्बुवान र किरात मिलाएर एउटा प्रदेश, त्यस्तै नेवाः र ताम्सालिङ मिलाएर अर्को एक प्रदेश, तमुवान र मगरात मिसिएको एक प्रदेश, र कर्णाली र खप्तड मिलाएर अर्को एक प्रदेश । यस प्रस्तावले शेर्पा, जडान, सुनकोशी र नारायणी प्रदेशको अस्तित्व अस्वीकार गरेको छ । हाल यसमा राजधानी प्रदेश थप गरेर ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगः १० प्रदेश (मध्यमार्ग), आधार :

१ प्रतिशत भन्दा कम भएको प्रदेश झिकिएको (शेर्पा र जडान) र सामर्थ्य कम भएको पनि झिकेको (शुनकोसी) र मिलान गरेको-खप्तड र कर्णाली)

जेठ २ को सहमति : ११ प्रदेश, आधार : सम्झौता, तर नाम र सीमाङ्कनलाई थाति राखेको अपुरो र अधुरो ।

Risk: (१) जिल्लाको सीमानालाई यथावत राख्न खोजेको आशंका जुन पहिचानजनित संघीयताको मर्म विपरीत छ ।

(२) नारायणी प्रदेशको अभावमा प्रस्तावित नेवाः, तमुवान र मगरातमा लक्षित जातिभन्दा खस आर्य बाहुल्य हुने ।

(३) झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा नया प्रदेशको प्रस्ताव तथा कैलाली र कन्चनपुर अर्को विवादास्पद हुने ।

For demographic implication, see reference, slides 2,3,4, 5

**सीमाङ्कन**

समिति र आयोगः

मान्यता- लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुनेगरी प्रदेशको निर्माण गर्ने ।

मापदण्ड -

१. सम्वन्धित प्रदेशको लक्षित जाति/समुदायको वस्तीको झुण्ड (cluster) लाई भौगोलिक निरन्तरता र जातीय सघनता अनुरूप रेखांङ्कन गर्ने । उक्त रेखांङ्कन कार्यबाट एउटा जाति/समुदायको निरन्तर क्षेत्र/झुण्डभित्र परेका फरक जाति/समुदाय र भाषी भए पनि त्यसैभित्र समावेश गरिएको छ ।

२. गैरलक्षित समुदाय बहुसंख्यक वा बाहुल्य रहेको स्थानहरूलाई जोडिएको सम्वन्धित जुनसुकै प्रदेशमा राख्न सकिने भए तापनि लक्षित जाति संख्यात्मक हिसावले जता बढी छन्, उतै राख्ने ।

३. सीमाङ्कन गर्दा प्राकृतिक सीमाना नदी, पानी, ढल र पहाडलाई आधार मानिएको छ ।

जातजातिको सघनता, सांख्यिक अग्रता, भौगोलिक निरन्तरता र अनुकूल प्राकृतिक सीमानाको संयुक्त मिश्रणबाट प्रदेशको निर्माण गर्ने सिद्धान्त अपनाएकोले जुन मापदण्ड अपनाएर समितिले २९ जिल्लाको पुनःरेखाङ्कन गरे, त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले काम गर्दा अगाडि manipulation भएका करीब ५०० गाविसलाई मिलान गर्दा १० मध्ये ६ प्रदेशमा बहिस्कृत समूहको आ–आफ्ना ऐतिहासिक थलोमा बाहुल्यता देखियो ।

फरक मतः

प्राथमिकता १ः हिमाल, पहाड र तराई मिसाएर र जिल्लाको सीमाना यथावत राखेर ।

प्राथमिकता २ः पहाड केन्द्रीत प्रदेशहरूलाई भारतीय सीमानासम्मको outlet

**किन लक्षित जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुने गरी प्रदेशको निर्माण गर्ने ?**

१) यो निर्वाचन पद्धतिसंग जोडिएको विषय पनि हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिकबाट पूर्ति गरिने व्यवस्थापिकाको सदस्यहरू जनसंख्याको अनुपातमा जातीय कोटाका आधारमा वितरण गरिन्छ । तसर्थ कुनै खास प्रदेशमा लक्षित जात वा जातिको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुनु भनेको प्रादेशिक राजनीतिमा उक्त समूहको बाहुल्यता स्थापित गर्नु हो । यो यस कारण पनि जायज छ कि संघीय व्यवस्थाले राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्पसंख्यक रहेका सामाजिक समूहलाई प्रादेशिक राजनीतिमा प्रभुत्वशाली समूह (dominant group) बन्न सघाउँछ र यहीं माध्यमबाट सामाजिक-राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्दछ ।

२) प्रदेशको जनसंख्यालक्षित जातिको पक्षमा व्यवस्थापन हुन सके संघीयताले प्रादेशिक तहमा जन्माउने उपराष्ट्रवाद र त्यसको स्वभाविक परिणतिको रूपमा आउने राजनीतिक र निर्वाचनको शक्ति सन्तुलन सम्बन्धित प्रदेशको प्रमुख जातिकै पक्षमा बन्न जाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अग्राधिकारको आवश्यकता पर्दैन ।

३. प्रदेशहरू जाति र भूगोल (ethnic and geography) को दृष्टिले सहज भए संघीयता कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ । संघीय व्यवस्था अपनाएका अरु देशहरूको अनुभवले के बताउँछ भने प्रदेशको जातजातीय बनोटमा खास एक समूहको बाहुल्यता भयो भने त्यहाँ जातीय झगडा कम हुन्छ ।

के कुरामा सम्झौता गर्न सकिंदैन ?

१. पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशको रचना गर्ने विषयमा । पहिचान प्राथमिक आधार बनाउने कुरा प्रदेशको सीमाङ्कन र संख्या निर्धारणसंग जोडिन्छ ।

२. एक प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएको जातीय वा भाषिक वा साँस्कृतिक समुदायलाई प्रदेशको व्यवस्था ।

३. अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको लागि स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था ।

४. प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा लक्षित समूहको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य हुनेगरी गर्ने ।

५. तीन तहको संघीय संरचना निर्माण गर्ने ।

**सम्झौता केमा र कसरी ?**

पहिचानजनित गैरजातीय प्रदेशः यसका विशेषताहरू

१) प्रदेशको नाम एकल जातीय (जस्तै लिम्बुवान), नभए संयुक्त (जस्तै लिम्बुवान–मेची)

२) स्वायत्त क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतमाथि पहिलो अधिकार, स्थानीय सरकारमा यी अधिकार स्थानीय बासिन्दालाई ।

३) एक तहको स्थानीय सरकार, नभए दुई तहको सरकार ।

४) प्रदेशको सरकारी भाषा र शिक्षा प्राप्त गर्ने माध्यम स्थानीय भाषा र खस नेपाली भाषा ।

५) प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व ।

६) प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा दलित, महिलालगायत सीमांङ्कित समूहलाई आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था ।

७) केन्द्रीय सरकारमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व जातीय नभई भौगोलिक आधारमा ।

८) प्रादेशिक राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा कुनै पनि समूहलाई अग्राधिकार नहुने ।

९) प्रादेशिक प्रशासनको नियुक्ति र बढुवामा कुनै पनि जातजातिलाई विशेषाधिकार नहुने, तर महिला, दलित, सीमाङ्कित, स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय भाषा जान्नेलाई प्राथमिकता दिने ।

**Assimilation Produced Inequality among Social Groups**

| Groups | Social hierarchy | HDI (538) | PI (25%) | GI (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. H. Brahmin | high | 557 | 10 | 66 (+34) |
| 2. H. Chhetri | high | 507 | 23 | |
| 3. M. caste | middle | 460* | 29 | 15 (-13) |
| 4. IPs | middle | 482** | 27 | 11 (-20) |
| 5. Dalit | low | 434 | 41 | 1 (-12) |
| 6. Muslim | low | 422 | 20 | NA |

There is overlapping of high social status, economic well being and political domination.
Inter-group relations is formed on the basis on inequality, one in dominant position and others' submission to disadvantages position, for which we portrait as 'social harmony' (quote: *milera baseko hoina sahera baseko)*

- Excluding badka jat. ** Excluding Newar and Thakali

राज्यको पुनः संरचनामा संघीय मुद्दा सम्बन्धी आदिवासी सभासद् तथा आदिवासी जनजाति अगुवाहरूबीच सम्वाद कार्यक्रममा प्रस्तुत-Power-point presentation

**प्रस्तोता : डा. कृष्ण हाछेथु,** राजनीति शास्त्र केन्द्रीय शिक्षण विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय,

Table 1. Numbers of CA members elected by First-Past-the-Post (FPTP) election of 19 November 2013 by political parties by caste, ethnic and regional groups by sex

| S.N. | Political Parties | Caste, Ethnic and Regional Groups | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bahun | | Chhetri | | Dalit | | Madhesi | | Muslim | | Indigenous Peoples | | Total | | All Total |
| | | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| 1 | Nepali Congress | 1 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 3 | 22 | 6 | 99 | 105 |
| 2 | CPN-UML | 0 | 35 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3 | 88 | 91 |
| 3 | UCPN-M | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25 | 26 |
| 4 | MJAF, Nepal (Loktantrik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | RaPraPa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | TaMaLoPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | MJAF Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Nepal Majdoor Kisan Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Terai Madhesh Sdavabana Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Sadvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Independent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | **Total** | **1** (0.41) | **73** (30.41) | **1** | **23** (9.58) | **0** | **2** | **2** | **35** (14.58) | **1** | **4** | **5** (2.08) | **63** (26.25) | **10** (4.16) | **230** (95.84) | **240** (100.00) |

Source: Adapted from the official data of the Election Commission, 2013. Note: Numbers in parenthesis indicate percentage

Table 2. CA members elected by First-Past-the-Post (FPTP) election of 19 November 2013 by political parties by indigenous peoples by sex

| S.N. | Political Parties | Indigenous Peoples | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | All Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Newar | | Limbu | | Magar | | Tharu | | Tamang | | Gurung | | Rai | | Sunuwar | | Chantyal | | Sherpa | | Thakali | | | | |
| | | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| 1 | Nepali Congress | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25 |
| 2 | CPN-UML | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 |
| 3 | UCPN-M | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | MJAF, Nepal (Loktantrik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | RaPraPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TaMaLoPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MJAF Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nepal Majdoor Kisan Party | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Terai Madhesh Sdavabana Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sadvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Independent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 58 | 68 |

Source: Calculated from the official data of the Election Commission, 2013.

Table 3. Numbers of CA members elected by proportional election of 19 November 2013 by political parties by caste, ethnic and regional groups by sex

| S.N. | Political Parties | Caste, Ethnic and Regional Groups | | | | | | | | | | Total | | All Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Khas-Arya and Others | | Madhesi Others | | Madhesi Dalit | | Dalit | | Indigenous Peoples | | | | |
| | | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 1 | Nepali Congress | 15 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 17 | **45** | **46** | **91 (27.16)** |
| 2 | CPN-UML | 13 | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 15 | **42** | **42** | **84 (25.04)** |
| 3 | UCPN-M | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | **27** | **27** | **54 (16.11)** |
| 4 | RPP Nepal | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | **11** | **13** | **24 (7.16)** |
| 5 | RPP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **5** | **5** | **10 (2.98)** |
| 6 | MJAF, Nepal (Loktantrik) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | **5** | **5** | **10 (2.98)** |
| 7 | MJAF Nepal | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | **4** | **8 (2.38)** |
| 8 | TaMaLoPa | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** | **4** | **7 (2.08)** |
| 9 | CPN-Male | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **2** | **3** | **5 (1.49)** |
| 10 | Sadvana Party | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | **3** | **5 (1.49)** |
| 11 | Sanghiya Samjbadi Party | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **2** | **3** | **5 (1.49)** |
| 12 | Rastriya Madhesi Samajbadi Party | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **2** | **3 (0.89)** |
| 13 | NeMaKiPa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **1** | **2** | **3 (0.89)** |
| 14 | CPN-Samyukta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | **1** | **3 (0.89)** |
| 15 | Rastriya Jana Morhca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **2** | **1** | **3 (0.89)** |
| 16 | Terai Madhes Sadvabana Party Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **2 (0.59)** |
| 17 | Rastriya Jana Mukti Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | **1** | **1** | **2 (0.59)** |
| 18 | Nepal Pariwar Dal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** | **1** | **2 (0.59)** |
| 19 | Tharuhat Terai Party Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | **1** | **1** | **2 (0.59)** |
| 20 | Dalit Janajati Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** | **1** | **2 (0.59)** |
| 21 | Akhanda Nepal Party | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| 22 | Khabuwan Rastriya Morcha, Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| 23 | Sanghiya Sadvabana Party | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **1 (0.29)** |
| 24 | Nepa: Rastriya Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| 25 | Madhesi Janaadhikar Forum (Gantantrki) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **1 (0.29)** |
| 26 | Nepali Janajata Dal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| 27 | Samjbadi Janata Party | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| 28 | Sanghiya Loktantrik Rastriya Munch(Tharuhat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** | **0** | **1 (0.29)** |
| 29 | Janajagaran Party | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| 30 | Madhesh Samta Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **0** | **1** | **1 (0.29)** |
| | **Total** | **50** (14.92) | **54** (16.11) | 36 (10.74) | 42 (12.53) | 7 (2.08) | 4 (1.19) | 14 (4.17) | **13** **(3.88)** | **57** **(17.01)** | 58 (17.31) | 164 (48.95) | 171 (51.05) | **3 3 5 (100.00) (100.00)** |

Source: Calculated from the official data of the Election Commission, 2013. Note: Numbers in parenthesis indicate percentage

Table 4. Indigenous Peoples represented through Proportional Election in election of 19 November 2013 by political parties by indigenous peoples by sex

| S. N. | Politic al Parties | Indigenous Peoples | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Newar | | Limbu | | Magar | | Tharu | | Tamang | | Gurung | | Rai | | Sunuwar | | Chantyal | | Sherpa | | Thakali | | Total | | All Total |
| | | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| 1 | Nepali Congress | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| 2 | CPN-UML | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 27 |
| 3 | UCPN-M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | RPP Nepal | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | RPP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | MJAF, Nepal (Loktantrik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | MJAF Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TaMaLoPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CPN-Male | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Sadvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sanghiya Samjbadi Party Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Rastriya Madhesi Samajbadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NeMaKiPa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | CPN-Samyukta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rastriya Jana Morhca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Terai Madhes Sadvabana Party Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rastriya Jana Mukti Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Nepal Pariwar Dal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tharuhat Terai Party Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Dalit Janajati Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Akhanda Nepal Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Khabuwan Rastriya Morcha, Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sanghiya Sadvabana Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nepa: Rastriya Party | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Madhei Janaadhikar Forum (Gantantrki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nepali Janajata Dal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samjbadi Janata Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sanghiya Loktantrik Rastriya Munch(Tharuhat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Janajagaran Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Madhesh Samta Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Total** | **1 1** | **14** | **2** | **4** | **8** | **5** | **11** | **8** | **6** | **7** | **3** | **7** | **4** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **46** | **52** | **98** |

Table 5. Indigenous Peoples represented through Proportional Election in election of 19 November 2013 by political parties by indigenous peoples by sex continued…..

| S. N. | Politcal Parties | Indigenous Peoples | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bhujel | | Marphali Thakali | | Rajbanshi | | Tingaunle Thakali | | Darai | | Baramu | | Pahari | | Unidentified | | Sub-Total | | All Total |
| | | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | |
| 1 | Nepali Congress | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2^ | 0 | **3** | **2** | 5 |
| 2 | CPN-UML | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | **3** | 4 |
| 3 | UCPN-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2# | 2+ | **4** | **3** | 7 |
| 4 | RPP Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| 5 | RPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| 6 | MJAF, Nepal (Loktantrik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1! | **0** | **1** | 1 |
| 7 | MJAF Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TaMaLoPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CPN-Male | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sadvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sanghiya Samjbadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rastriya Madhesi Samajbadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NeMaKiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CPN-Samyukta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rastriya Jana Morhca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Terai Madhes Sadvabana Party Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rastriya Jana Mukti Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nepal Pariwar Dal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tharuhat Terai Party Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dalit Janajati Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Akhanda Nepal Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Khabuwan Rastriya Morcha, Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sanghiya Sadvabana Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nepa: Rastriya Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Madhei Janaadhikar Forum (Gantantrki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nepali Janajata Dal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samjbadi Janata Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | S a n g h i y a Loktantrik Rastriya Munch(Tharuhat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Janajagaran Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Madhesh Samta Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Total** | **0** | **3** | **1** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **4** | **5** | **10** | **10** | |

Note: Unidentified Janjati: ^ Tamnli; Bhandari #Khuna; Dhami + Tudu; Modi; ! Dev; ' Nisadh

## उच्चस्तरीय पुनःसंरचना आयोगको बहुमतबाट प्रस्तावित नेपालको संघीय बनोट (१० प्रदेश) र अल्पमतबाट प्रस्तावित नेपालको संघीय बनोट (७ प्रदेश)

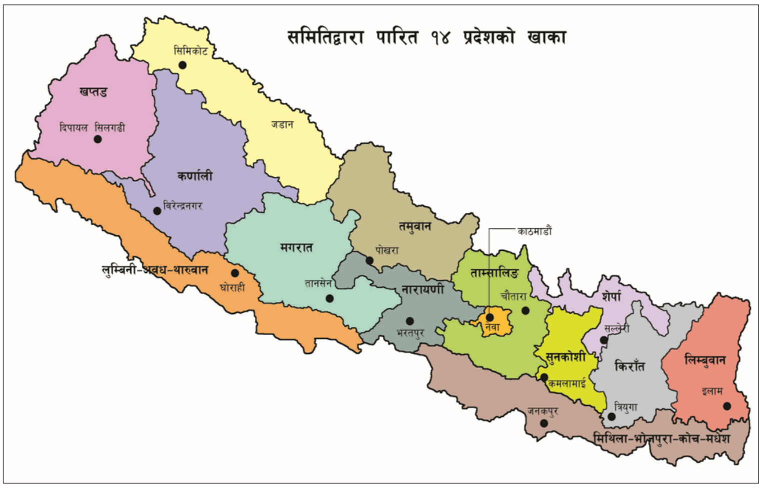


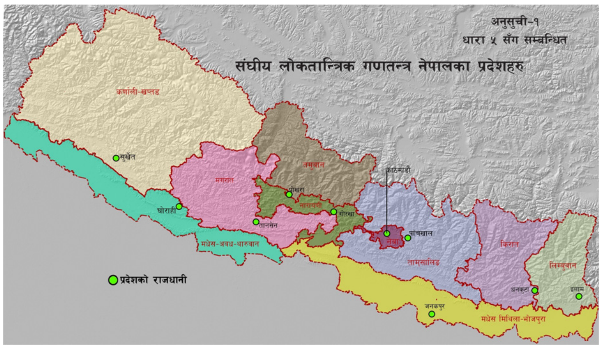



International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) को सहयोगमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) द्वारा प्रकाशित/सम्पादित

ले-आउटः खापुङ क्रियसन, काठमाडौं । ठेगानाः घट्टेकुलो अनामनगर, काठमाडौं फोन नं. ००९७७-०१-४७७०७१० पो.ब.नं. ११९७९, सुन्धारा काठमाडौं



**Email: lahurnip.nepal@gmail.com,Website: www.lahurnip.org**